मनुष्य अनादि काल से ही विकास की नई ऊँचाइयों को पाने के लिए प्रयत्नशील रहा है। इसने विज्ञान, तकनीकी,अंतरिक्ष, कृषि, चिकित्सा इत्यादि क्षेत्रों में काफी प्रगति की है।

विज्ञान के विकास के साथ-साथ मनुष्य ने अपनी सुख-सुविधा के लिए क्या कुछ नहीं किया है। उदाहरणास्वरूप, मनुष्य ने ऐसा ही एक पदार्थ बनाया है- प्लास्टिक, जो प्राकृतिक नहीं है वरन् इसे कृत्रिम रूप से विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनाया जाता है। प्रतिदिन प्रात: जागने से लेकर रात्रि में सोने जाने तक प्लास्टिक की उपयोगिता हम देख सकते हैं। ऐसे पदार्थों की उपयोगिता पर हमें कोई शक नहीं परन्तु, इनसे हानियाँ भी कम नहीं।

क्या है प्लास्टिक?

प्लास्टिक कृत्रिम रूप से बनाया गया एक पॉलिमर है। सामान्यतया गुणों के आधार पर प्लास्टिक को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है- **थर्मोसेटिंग एवं थर्मोप्लास्टिक।**

थर्मोसेटिंग प्रकार का प्लास्टिक, वैसा प्लास्टिक है जिसे उत्पादन के समय जिस आकार में ढ़ाल दिया जाता है, वैसा ही रहता है। इसे दोबारा गर्म कर अथवा पिघलाकर किसी अन्य रूप में नहीं ढ़ाला जा सकता। ये हैं- बेकलाइट, मेलेमाइन एवं यूरिया- फार्मल डिहाइड रेसिन।

थमोप्लास्टिक प्रकार का प्लास्टिक वैसा प्लास्टिक है जो गर्म करने पर मुलायम हो जाता है तथा इन्हें वांछित आकार में ढ़ाला जा सकता है। ये हैं- नाइलोन, पॉलिइस्टर (टेरीलीन), पॉलीस्टाइलीन, पॉली विनाइल क्लोराइड (पी.वी.सी) एवं पॉली-इथीलिन (पॉलीथीन) प्लास्टिक के थैले थर्मोप्लास्टिक प्रकार के प्लास्टिक से बने होते हैं। ऐसे प्लास्टिक के थैले सफेद रंग के अनुप्रयुक्त प्लास्टिक (Virgin plastic) से बने होते हैं। ऐसे प्लास्टिक के थैलों में खाद्य सामग्री रखी जा सकती है।

प्लास्टिक थैलों/कैरी बैगों का पुनः चक्रण (रिसाइक्लिंग)

सफेद/ प्राकृतिक रंग के प्लास्टिक के थैले पहली बार उपयोग के पश्चात कूड़े में फेंक दिये जाते हैं, जिसे कूड़ा इकट्ठा कर रोजी-रोटी चलाने वाले पुन: चुन-चुनकर प्लास्टिक पुन: चक्रण (रिसाइक्लिंग) करने वाली इकाइयों को बेच देते हैं। जहाँ वे इसे ताप द्वारा गलाकर पुन: प्लास्टिक के थैले का रूप दे देते हैं।

ऐसे प्लास्टिक थैले कई प्रकार के जीवाणुओं/ विषाणुओं से ग्रसित हो सकते हैं। इन्हें पूरी तरह साफ एवं विसंक्रमित किये बिना पुन: गलाकर तथा इसमें कई प्रकार के खाद्य/अखाद्य रंग, जिसमें सीसा (Lead) भी होता है, डालकर रंगीन प्लास्टिक थैला (कैरी बैग) बनाया जाता है। ऐसे ही थैलों को पुन: चक्रित (रिसाइकिल्ड) प्लास्टिक कैरी बैग/ थैला कहा जाता है। ऐसे प्लास्टिक थैलों में खाद्य पदार्थ रखे जाने से वे इनमें प्रयुक्त अखाद्य रंगों से मिलकर विषाक्त हो सकते हैं, जिसे खाने पर मनुष्य के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।

प्लास्टिक थैलों/कैरी बैगों से हानि :

इन प्लास्टिक थैलों से नालियाँ जाम हो जाती हैं तथा गली-मुहल्लों में गंदे जल के जमाव की स्थिति आ जाती है, जिससे मक्खियाँ, मच्छर तथा बैक्टीरिया को पनपने का अच्छा अवसर मिलता है।

ये प्लास्टिक थैले पेड़-पौधों के विकास में बाधक बनते हैं। प्लास्टिक जैव-अविघटनकारी (non-bio-degradable) होते हैं यानि स्वयं इनका विनाश सौ वर्षों में भी नहीं होता है और न ही ये किसी बैक्टीरिया द्वारा विघटित किये जा सकते हैं। इस प्रकार ये जहां के तहाँ पड़े-पड़े पेड़ों की जड़ों के विकास में बाधक बनते हैं।

ऐसे प्लास्टिक, खेतों, मैदानों एवं अन्य जगहों में जमा जल को जमीन के अंदर भूगर्भीय जल-स्तर तक पहुंचने में बाधक होते हैं जिससे भूगर्भीय जल-स्तर भी प्रभावित होता है। फलत: गर्मी के मौसम में कुओं/चापाकलों से जल प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।

यत्र-तत्र बिखरे प्लास्टिक बैगों में फेंके गये खाद्य सामग्री को पालतू पशु भोज्य पदार्थ समझकर निगल लेते हैं। ये इनकी आंतो में रूकावट पैदा करता है जो ऐसे जानवरों की शनै: शनै: मृत्यु का कारण बन सकती है।

प्राय: कूड़े-कचरों पर जमा ऐसे प्लास्टिक थैले को अज्ञानतावश जला दिया जाता है जिससे जहरीली गैस उत्पन्न होती हैं, जिससे श्वास, फेफड़ा संबंधी बीमारियाँ भी हो सकती हैं।

प्लास्टिक कैरी-बैगों तथा अपशिष्ट प्लास्टिक के प्रबंधन एवं हस्तन के संबंध में कानूनी प्रावधान:

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा '' अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम, 2011'', दिनांक-04 फरवरी 2011 को अधिसूचित किया गयया है, जो इसी तिथि से लागू है।

उक्त नियमावली के प्रावधान निम्न प्रकार है:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) (संशोधन) नियम, 2011 है:

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना:-

''2 (1) नियम 5 और नियम 8 के उपबंध सम्बद्ध विनिर्माण इकाई के स्वामी या अधिष्ठाता द्वारा प्राप्त किए गए निर्यात के लिए किसी आदेश के विरूद्ध अनन्य रूप से निर्यात प्रयोजनों के लिए कैरी बैगों के विनिर्माण को लागू नहीं होंगे।

(2) यह छूट किसी अधिशेष या निराकृत अवशेष और इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं पर लागू नहीं होगी''

3. परिभाषाएं :- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) **''अधिनियम''** से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है;

(ख) **'' कैरी बैग''** से वस्तुओं के वहन करने या वितरण करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किसी प्लास्टिक सामग्री से बने बैग अभिप्रेत है किन्तु इसमें वह बैग सम्मिलित नही है जो पैकिंग के समग्र भाग का निर्माण करते हैं या बनाते हैं जिसमें उपयोग से पूर्व माल को मुहरबंद किया जाता है;

(ग) **'' वस्तुओं''** से सम्मिलित चीजें अभिप्रेत हैं किन्तु वे सब्जियों, फलों, भेषजीय, खाद्य-पदार्थो और इसी प्रकार की अन्य चीजों तक सीमित नहीं है;

(घ) **'' कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक''** से ऐसी प्लास्टिक अभिप्रेत है जो जैविकीय प्रक्रियाओं द्वारा विघटनीय होने के दौरान कार्बन-डाई-ऑक्साइड जल, अकार्बनिक यौगिकों को कंपोस्ट करती है और अन्य ज्ञात कंपोस्ट योज्य सामाग्रियों के साथ जैव भार की समरूप दर है और जो दृश्य, विशेषणीय या विषाक्त अपशिष्ट नहीं छोड़ती है;

(ड.) **''सहमति''** से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से स्थापित करने की सहमति और उसे चलाने की सहमति अभिप्रेत है;

(च) **''विघटन''** किसी सामग्री का बहुत छोटे भागों में भौतिक रूपों से भंजन अभिप्रेत है;

(छ) **'' विस्तृत उत्पादक का उत्तरदायित्व (ई.पी.आर.)''** से प्लास्टिक कैरी बैगों और बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउचों और थैलियों तथा ऐसे कैरी बैगों और ऐसे ब्रांड के स्वामी हैं जो ऐसे कैरी बैगों और बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउचों और थैलियों का जब तक कि उसका जीवन समाप्त न हो, पर्यावरण रूप से सुदृढ़ प्रबंध के लिए उपयोग कर रहे है, का विनिर्माणकर्त्ता का उत्तरदायित्व अभिप्रेत है;

(ज) **''खाद्य पदार्थ''** से द्रव, चूर्ण या अर्द्ध ठोस रूप से खाने के लिए तैयार पदार्थ, फास्ट फूड, प्रसंस्कृत या पकाए हुए खाद्य पदार्थ अभिप्रेत है;

(झ) **''विनिर्माता''** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्लास्टिक कैरी बैगों या बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउचों या थैलियों या उसी प्रकार की वस्तुओं का विनिर्माण कर रहा है;

(ड.) **''नगर पालिका प्राधिकरण''** से नगर निगम म्यूनिसिपलिटी, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद् अभिप्रेत हैं जिसमें अधिसूचित क्षेत्र समिति (एनएसी) या सुसंगत कानूनों के अधीन गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय और जहां नगर पालिका का प्रबंध और प्रहस्तन किसी ठोस अपशिष्ट के बारे में ऐसे अभिकरण को सौंपा गया है, सम्मिलित है;

(ट) **''बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली''** से पैकिंग सामग्री जैसे कागज, कागज बोर्ड धात्विक स्तर या एल्युमिनियम पन्नियां या लैमिनेट रूप में या सह बहिर्वेधन संरचना के रूप में हों, के एक या अधिक स्तरों के संयोजन से कम से कम प्लास्टिक का एक स्तर वाली पाउच या थैली अभिप्रेत है;

(ठ) **''प्लास्टिक''** से ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जिसमें उच्च बहुलक के आवश्यक तत्व अंतर्विष्ट हो और जो तैयार उत्पादों की प्रक्रिया में ठीक उसकी प्रक्रिया में किसी स्तर तक बहाव द्वारा आवरित किया जा सकता हो;

(ड) **''प्लास्टिक अपशिष्ट''** से ऐसे कोई प्लास्टिक उत्पाद अभिप्रेत है जैसे कैरी बैग, पाउच या बहुस्तरीय प्लास्टि पाउच या थैली आदि जिसको उपयोग के पश्चात् या जिसका आशयित जीवन समाप्त हो जाने पर फैंक दिया जाता है;

(ढ) **''रजिस्ट्रीकरण''** से यथास्थिति, संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से प्लास्टिक के कैरी बैग, बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली या प्लास्टिक अपशिष्ट के पुन: चक्रण की विनिर्माण इकाईयों का रजिस्ट्रीकरण अभिप्रेत है;

(ण) **'' अप्रयुक्त प्लास्टिक''** से ऐसी प्लास्टिक सामग्री अभिप्रेत है जो पूर्व उपयोग नहीं की गई है और जो स्क्रैप या आपशिष्ट में भी सम्मिलित नहीं की गयी है;

(त) **'' अपशिष्ट प्रबंध''** से प्लास्टिक अपशिष्ट की वैज्ञानिक रूप से कमी, पुन: उपयोग, पुन: प्राप्ति, पुन: चक्रण, कंपोस्टिंग या व्ययन अभिप्रेत है;

(थ) ''अपशिष्ट चुनने वाले'' से प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण में लगे हुए व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह अभिप्रेत हैं।

4. विहित प्राधिकरण - विहित प्राधिकरण से निम्नलिखित प्राधिकरण अभिप्रेत है:-

(क) रजिस्ट्रीकरण, विनिर्माण और पुन:चक्रण से संबंधित इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्त्तन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण समिति होगी;

(ख) प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग, संग्रहण, पृथ्क्करण, परिवहन और व्ययन से संबंधित इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्त्तन के लिए संबद्ध नगरपालिका विहित प्राधिकरण होगा।

5. शर्त्ते- कैरी बैगों और सैशे के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग के अनुक्रम दौरान निम्नलिखित शर्त्ते पूरी की जाएंगी, अर्थात्:-

(क) कैरी बैग या तो प्राकृतिक रंगत (रंगहीन) जो किसी मिलाए गए रंजकों के बिना हैं या केवल उन रंजकों और रंगकों के अनुसार होंगे जो खाद्य सामग्री, भेषजीय पदार्थो और पीने के पानी के संपर्क में आने वाली प्लास्टिकों के उपयोग के लिए समय-समय पर यथा संशोधित, रंजकों और रंगक की सूची नामक भारतीय मानक ब्यूरो के निनिर्देश 9833:1981 के अनुरूप है;

(ख) कोई व्यक्ति, खाद्य सामग्री को भंडार करने, वहन करने, वितरण करने या पैकेजिंग करने के लिए पुन:चक्रित प्लास्टिक या कंपोस्ट योज्य प्लास्टिकों से बने कैरी बैगों का उपयोग नहीं करेगा;

(ग) कोई व्यक्ति, किसी अप्रयोज्य या पुन:चक्रित या कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक से बने किसी कैरी बैग का जो मोटाई में 40 माइक्रोन्स से कम है, विनिर्माण, भंडार, वितरण या विक्रय नहीं करेगा;

(घ) गुटखा, तम्बाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री हेतु प्लास्टिक सामग्री युक्त सैशे का उपयोग नहीं किया जायेगा।

(ड.) पुन:चक्रित कैरी बैग, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो के प्लास्टिक के पुन: चक्रण के लिए मार्गदर्शन नामक विनिर्देश भा.मा. 14534 : 1998 के अनुरूप होंगे;

(च) कंपोस्ट योज्य प्लास्टिकों से बने कैरी बैग समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो के कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक के लिए विनिर्देश नामक भा.मा./भा.मा.स. 17088:2008 के अनुरूप होंगे;

(छ) प्लास्टिक सामग्री का उपयोग किसी भी रूप में गुटखा, पान मसाला और सभी रूपों में तम्बाकू की पैकिंगके लिए नहीं किया जायेगा।

6. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध - प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध निम्न प्रकार होगा:-

(क) प्लास्टिक अपशिष्ट का पुन:चक्रण, पुन: प्राप्ति या व्ययन समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत नियमों, विनियमों और मानकों के अनुसार किया जायेगा;

(ख) प्लास्टिक का पुन: चक्रण, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो के भा. मा. 14534:1998 के अनुसार किया जायेगा;

(ग) नगर पालिका प्राधिकरण, अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली की स्थापना, उसका प्रचालन और उसके समन्वय के लिए तथा निम्नलिखित सहयोजित कृत्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात् (i) प्लास्टिक अपशिष्ट के सुरक्षित संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन को सुनिश्चित करना; (ii) यह सुनिश्चित करना कि इस प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण को कोई हानि न हो; (iii) विनिर्माणकर्त्ताओं सहित प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए संग्रहण केन्द्रों की स्थापना सुनिश्चित करना; (iv) पुन:चक्रित करने वालों को इसका प्रणालन सुनिश्चित करना; (v) सभी पर्णधारियों में उनके उत्तरदायित्व के लिए जागृति पैदा करना; (vi) अपशिष्ट प्रबंध में, अपशिष्ट चुनने वालों सहित कार्य करने वाले अभिकरणों या समूहों को लगाना और (vii) यह सुनिश्चित करना कि प्लास्टिक अपशिष्ट का खुले में जलाया जाना अनुज्ञात नहीं होगा;

(घ) (i) प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए संग्रहण प्रणालियों के गठन के लिए संबद्ध नगर पालिका का उत्तरदायित्व होगा और इस प्रयोजन के लिए उक्त नगर पालिका प्राधिकरण